एक नजर में

विद्याधाम पर आज दोपहर रंगारंग रंगपंचमी महोत्सव

इंदौर. विमानतल मार्ग स्थित श्री श्रीविद्याधाम पर %होली के रंग जगदंबा के संग कार्यक्रम 8 मार्च को अपराह्न 3 बजे से विद्याधाम परिसर में महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के सानिध्य में आयोजित होगा। उत्सव में विद्याधाम से जुड़े सैकड़ों परिजन एवं स्नेहीजन भी सपरिवार शामिल होंगे।इस दौरान काले, नीले और पक्के रंगों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा. आश्रम परिवार के सुरेश शाहरा, पं. दिनेश शर्मा एवं राजेंद्र महाजन ने बताया कि पिछले के वर्षों से आश्रम पर माँ भगवती के आँगन में होली का परंपरागत त्यौहार मनाया जा रहा है. इसी श्रृंखला में रविवार को दोपहर 3 बजे से आश्रम से जुड़े श्रद्धालु केवल फूलों, रंग-बिरंगी गुलाल, इत्र एवं गुलाब जल का प्रयोग कर मां जगदंबा के साथ होली खेलकर एक-दूसरे को रंगपंचमी की बधाई एवं शुभकामनाएं देंगे. महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती भी आशीर्वाद स्वरुप भक्तों पर रंग, गुलाल और फूलों की वर्षा करेंगे. होली खेलने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया है कि वे इस रंगारंग रंगपंचमी महोत्सव के दौरान मंदिर की गरिमा और मर्यादा का पालन करते हुए उत्सव का आनंद उठाएं.

घर-घर से हुई साईं पालकी पर पुष्प वर्षा

इंदौर. केंद्रीय सांई सेवा समिति के तत्वावधान में शनिवार को सुबह द्वारकापुरी, प्रजापत नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में निकली सांई बाबा की पालकी यात्रा एवं प्रभात फेरी में सैकड़ों महिलाओं ने ढोलक की थाप पर नृत्य कर पालकी का पूजन किया. सांई बाबा स्कूल के शिक्षकों, बच्चों और परीक्षा देने जा रहे बच्चों ने भी बाबा की पालकी का पूजन किया. पूरे क्षेत्र में कहीं रंगोली, कहीं पुष्प और कहीं विद्युत सज्जा तो कहीं दीपों की मालाएं सजाई गई थी. साईं भक्त सुश्री विनिता पाठक की स्मृति में 26 मार्च को बड़ा गणपति से छत्रीबाग साईं मंदिर तक 100 से अधिक साईं मंदिरों से जुड़े साईं भक्तों की पालकी यात्रा का न्योता भी इस दौरान घर-घर दिया गया. श्री केन्द्रीय सांई सेवा समिति के अध्यक्ष गौतम पाठक, प्रदीप यादव और समीर जोशी ने बताया कि प्रभात फेरी का शुभारंभ मुकेश कराडिया एवं श्रीमती दुर्गा कराडिया के निवास पर बाबा की पालकी के पूजन से हुआ. भजन गायक प्रदीप परमार और अक्षत शर्मा के भजनों पर नाचने गाने का सिलसिला शुरू से अंत तक चलता रहा. मार्ग में नीम वाले साईं बाबा भक्त मंडल की ओर से वासु कराडिया, कपिल कुशवाह, मुकेश सुनहरे, भगवान वाकोडे, बल्लू राठोर सहित सैकड़ों साईं भक्तों ने पुष्प वर्षा की। केंद्रीय समिति की ओर से गौतम पाठक, प्रदीप यादव, चंदू कुंजीर, आलोक खादीवाला, समीर जोशी, वासुदेव चावला, संतोष भुसारी, ज्ञानेश्वर होलकर, अशोक गायकवाड, निक्की चौधरी, उमेश शर्मा, जितेन्द्र रावल, राजू अगवाने, पूरब कपूर, शक्ति धीमान, दिलीप चावला, सचिन जौरे ने भक्तों की अगवानी की. 8 मार्च को सुबह 5 बजे से राजमोहला स्थित प्रफुल्ल टॉकीज और आसपास के क्षेत्र में बाबा की पालकी यात्रा एवं प्रभात फेरी निकलेगी.

वृन्दावनी रास बैंड के कलाकारों की प्रस्तुति आज

इंदौर. अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति की मेजबानी में 8 मार्च को बायपास स्थित संपत पैलेस गार्डन पर शाम 6 बजे से भक्ति, संस्कार, संस्कृति और संगीत से ओतप्रोत फाग महोत्सव मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. शनिवार की शाम को केन्द्रीय समिति के पदाधिकारियों और विभिन्न व्यवस्था समितियों के प्रभारियों ने संपत पैलेस की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर वृन्दावन से आने वाली अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रंगमंच कलाकार वन्दनाश्री एवं उनकी टीम के 32 महिला-पुरुष कलाकारों की अगवानी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया. समिति के प्रमुख संरक्षक विनोद अग्रवाल, अध्यक्ष प्रेमचंद गोयल एवं संयोजक जगदीश बाबाश्री तथा गणेश गोयल ने बताया कि ब्रज रत्न की उपाधि से अलंकृत वंदनाश्रीजी पहली बार अपने वृन्दावनी रास बैंड के कलाकारों के साथ इंदौर आ रही हैं, हालाँकि वे पहले भी कई बार इंदौर में अपनी मनोहारी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं लेकिन वृन्दावनी रास बैंड के साथ वे पहली बार यहाँ आ रही हैं. शनिवार को संपत पैलेस पर आयोजित बैठक में अग्रवाल समाज केन्द्रीय समिति के पूर्व अध्यक्ष, किशोर गोयल, संजय बांकडा, संतोष गोयल, राम एरन, कुलभूषण मित्तल कुक्की, गोविन्द सिंघल, अरविन्द बागड़ी, राजेश बंसल, विष्णु बिंदल, पीडी अग्रवाल महू सहित केन्द्रीय समिति के प्रमुख पदाधिकारियों, उपाध्यक्ष टीकमचंद गर्ग एवं रमेश मित्तल मेडीकैप्स, महामंत्री पवन सिंघानिया मोयरा एवं कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रवाल भी उपस्थति थे.

महिलाओं के नेतृत्व में वेयर हाउस का संचालन

इंदौर. लो रियल इंडिया और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने इंदौर में अपनी तरह का पहला वेयरहाउस शुरू करने के लिए भागीदारी की है, जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाएं करेंगी. इसका शुभारंभ अतिथियों द्वारा किया गया. इस दौरान यहां काम करने वाली महिलाओं ने अपने अनुभव भी सुनाए.

लोरियल इंडिया के आपूर्ति श्रृंखला निदेशक, अरुण सरवनकुमार ने कहा, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के साथ भागीदारी में, पूरी तरह महिलाओं द्वारा परिचालित पहला वेयरहाउस तैयार करना, लॉरियल इंडिया के लिए महत्वपूर्ण क्षण है. यह कार्यस्थल पर लैंगिक समानता, महिलाओं को बराबरी के मौके प्रदान करने और हमारे समुदाय में साझा मूल्य तैयार करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. महिंद्रा लॉजिस्टिक्स प्रबंध निदेशक हेमंत सिक्का ने कहा भारत की आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार हो रहा है और अपेक्षाकृत अधिक जुड़ रही है. मुख्य परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से मज़बूत और अधिक सक्षम लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने के लिए आवश्यक प्रतिभा पूल बढ़ रहा है.

पॉक्सो अधिनियम, मेडिकल व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर विशेषज्ञों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी

- अभियोजन अधिकारियों की संभागीय कार्यशाला

नव भारत न्यूज

इंदौर. लोक अभियोजन संचालनालय मध्यप्रदेश के तत्वावधान में इंदौर संभाग के अभियोजन अधिकारियों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. शनिवार को आयोजित कार्यशाला में न्यायिक व विधिक विशेषज्ञों ने पॉक्सो अधिनियम, आपराधिक न्याय प्रणाली तथा साक्ष्यों के महत्व पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया.

कार्यशाला का आयोजन प्रात: 9 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन इंदौर राजेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में किया. कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वी.एस. कोकजे ने किया, जबकि एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर की प्रोफेसर डॉ. सुमित्रा यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं. अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभिषेक जैन ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य अभियोजन अधिकारियों की पेशेवर दक्षता को बढ़ाना है, जिसके तहत पॉक्सो अधिनियम-2012 से जुड़े मामलों की प्रभावी पैरवी और साक्ष्य प्रस्तुतिकरण पर चर्चा की गई. कार्यशाला में महू के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भरत कुमार व्यास ने पॉक्सो अधिनियम तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संग्रहण और प्रस्तुतीकरण पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पॉक्सो मामलों में पीड़ित की उम्र का प्रमाण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए. कार्यक्रम की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित महिला सम्मेलन से हुई, जिसकी अध्यक्षता मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की विधि अधिकारी अनीता शुक्ला ने की.

इस अवसर पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय की संचालक नमिता तिवारी ने बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया. वहीं, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति पटवर्धन ने भी अपने विचार व्यक्त किए. कार्यक्रम में एडीपीओ वर्षा पाठक द्वारा ईश्वर स्तुति प्रस्तुत की गई तथा राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री शिवांगी प्रेरणा ने महिला सम्मान पर काव्य पाठ किया. समापन सत्र में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए. संचालन ज्योति आर्य और गोकुलसिंह सिसोदिया ने किया, जबकि आभार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुशीला राठौर ने माना.

न्याय प्रक्रिया में कोर्ट के साथ अभियोजन और पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वीएस कोकजे ने आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभियोजन अधिकारियों को न्यायालय में शासन का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में न्यायालय के साथ-साथ अभियोजन और पुलिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. सुमित्रा यादव ने पॉक्सो मामलों में मेडिकल साक्ष्यों के महत्व पर जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ितों की समय पर काउंसलिंग और मेडिकल परीक्षण बेहद जरूरी है, जिससे घटनाओं के वास्तविक तथ्य सामने आ सकें.

तिंछाफाल की खाई दो दोस्तों की गिरने से मौत

- शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा
- ग्रामीणों और क्रेन की मदद से निकाले गए शव

सुमित, मृतक
अशोक, मृतक

नव भारत न्यूज

इंदौर. प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तिंछाफाल पर शनिवार तड़के दो युवकों की खाई में गिरने से मौत हो गई. पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि शराब पीते समय संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरु कर दी है.

सिमरोल थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि घटना की सूचना इंदौर की स्कीम नम्बर 114 में रहने वाले 31 वर्षीय अभिनय पाठक ने दी. अभिनय ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात वह अपने दो परिचितों के साथ तिंछाफाल घूमने गए थे. रात करीब 3 से 4 बजे के बीच तीनों खाई के किनारे बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान 35 वर्षीय अशोक निवासी ग्राम रलायता, थाना गौतमपुरा और सुमित निवासी राजीव आवास विहार, इंदौर का संतुलन बिगड़ गया और दोनों गहरी खाई में गिर गए. अशोक देपालपुर मंडी में व्यापार करता था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों तथा क्रेन की मदद से दोनों युवकों के शव खाई से बाहर निकाले गए. पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि शराब पीते समय खाई के किनारे बैठने के कारण संतुलन खो जाने से हादसा हुआ. बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है.

रंग लगाने के विवाद में हुई थी युवक की हत्या

- मुख्य आरोपी और दो नाबालिग पुलिस गिरफ्त में

इंदौर. भंवरकुआ थाना क्षेत्र में धुलेंडी पर रंग लगाने की बात को लेकर हुए विवाद में 20 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित दो नाबालिगों को गिरफ्तार कर घटना में उपयोग किया गया चाकू जब्त कर लिया है.

भंवरकुआ थाना क्षेत्र के शिव पार्वती नगर में बुधवार 4 मार्च की शाम करीब 7.30 बजे शिव पार्वती नगर नाले के पास खेत में रंग लगाने की बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद के दौरान 19 वर्षीय मोहित बघेल निवासी शिव पार्वती नगर तथा दो नाबालिगों ने 20 वर्षीय आदित्य पिता जयराम जमरे निवासी गली नंबर 3 शिवपार्वती नगर के सीने में चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार मृतक और आरोपी दोनों पालदा क्षेत्र में निवास करते थे और साथ में कामकाज करते थे. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की गई. सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित बघेल तथा दो नाबालिग को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने घटना में प्रयोग किया गया चाकू भी जब्त कर लिया है. पुलिस के मुताबिक मृतक आदित्य जमरे एक निजी कंपनी में काम करता था. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

कुख्यात बदमाश सादिक उर्फ काला व साथी को दबोचा

- हत्या के दो मामलों का आरोपी है बदमाश
- गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने क्षेत्र में निकाला जुलूस

इंदौर. चंदन नगर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर चाकू दिखाकर धमकाने, मारपीट करने और अवैध रूप से रुपए मांगने के मामले में पुलिस ने कुख्यात बदमाश सादिक उर्फ काला और उसके साथी फैयाज को गिरफ्तार किया है. आरोपी सादिक हत्या के दो मामलों में दोषसिद्ध है और उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.

चंदन नगर थाना प्रभारी तिलक करोले ने बताया कि 6 मार्च 2026 को फरियादिया नसीम बी और सिद्दीक पठान ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि क्षेत्र का कुख्यात बदमाश सादिक उर्फ काला पिता गुलफाम निवासी सहयोग नगर अपने साथियों अज्जु बटला और फैयाज के साथ उनके घर में घुस आया था, आरोपियों ने चाकू दिखाकर डराया-धमकाया, गाली-गलौच और मारपीट की तथा अवैध रूप से रुपए की मांग की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी, पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सादिक उर्फ काला उम्र 44 साल निवासी सहयोग नगर तथा फैयाज उम्र 23 साल निवासी ई-सेक्टर चंदन नगर को हिरासत में ले लिया. आरोपी सादिक से घटना में उपयोग किया खटकेदार लोहे का धारदार चाकू भी जब्त किया है.

14 आपराधिक मामले दर्ज हैं आरोपी पर

सादिक उर्फ काला पूर्व में हत्या के दो मामलों में दोषसिद्ध है और उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने, अड़ीबाजी, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी जैसे करीब 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोपी के प्रभाव और क्षेत्र में उसके डर को खत्म करने के उद्देश्य से पुलिस ने रानी पैलेस क्षेत्र और उसके बैठने के सामान्य स्थान लाल स्कूल के पास जुलूस निकाला. इस दौरान आरोपी सादिक उर्फ काला ने सड़क पर घुटनों के बल बैठकर लोगों से माफी मांगी और दोबारा अपराध नहीं करने की कसम खाई.

होली मिलन समारोह में पानी बचाने का संदेश

इंदौर. रंगबिरंगे परिधानों और सतरंगी छटा बिखेरती हुई सदस्यों ने होली मिलन समारोह को रंगीन बना दिया. मनोरंजक, रोचक मज़ेदार गेम्स में सोनू, कीर्ति, सपना ने बाजी मारी. फिर तंबोला का सभी ने आनंद उठाया.

महिला दिवस के उपलक्ष में कुछ ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सीमा, सपना, वंदना, राजश्री विजई रही. गर्मी की शुरुआत हो गई है तो पानी बचाओ अभियान के तहत सदस्यों ने बहुत से स्लोगन बनाकर जैसे जल है तो कल है, अपना क्लब ने ठाना है पानी को बचाना है, जल संचय के सतत प्रयास, सबका लाभ सबका विकास एक दूसरे को जागरूक किया. कार्यक्रम में आरती, सीमा, अल्पना, सपना, राजश्री, अलका अर्चना, अनुराधा ,वंदना, सोनू आदि उपस्थित रही. अंत में अध्यक्ष आभा और सुनीता ने आभार माना. भाग्यरेखा गायकवार्ड को हुडदंग क्वीन चुना गया.

SMFG Grihashakti
Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

कार्पोरेट आफिस: 503 एवं 504, पांचवी मंजिल, जी ब्लाक, इन्सीप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (ई) मुंबई- 400051

रजि. आफिस: कमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नं. 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पुरुर, चेन्नई-600116, तमिलनाडु

डिमांड नोटिस

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम')

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया है. अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है. मांग नोटिस(ओं) की विषयवस्तु नीचे उद्धृत की गई है :-

क्र.	ऋण खाता संख्या एवं नाम उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता संपत्ति धारक जैसा भी मामला हो	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (बंधक संपत्ति)	डिमांड नोटिस तिथि 13/2 के तहत और कुल बकाया
1.	**लैन: 623439512044760** **1. राहुल हम्माद** **2. राखी हम्माद** **3. भूरी बाई सीरवी** **पता:** सीरवी मोहल्ला कापसी पो. कापसी जिला धार मध्य प्रदेश 454331	मकान नंबर 214, ग्राम का वह सारा पीस और पार्सल कापसी ग्राम पंचायत कापसी प.ह. क्रमांक 77, तहसील कुक्षी एवं जिला धार म.प्र. इसकी संपत्ति का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- हाउस ऑफ प्रभु पुत्र राधेश्याम, पश्चिम-हीरालाल पुत्र भूराजी का घर, उत्तर- कॉमन रोड, दक्षिण- धर्मशाला.	13.02.2026 रु. 14,66,274.84 (रु. चौदह लाख छियासठ हजार दो सौ चौहत्तर और चौरासी पैसे मात्र) दिनांक 09.02.2026 को **एनपीए दिनांक: 05.02.2026**
2.	**लैन: 601738011521314** **1. सोनू बाई छपारी** **2. श्री सत्यनारायण छपारी** **पता:** आर-2 अमरदीप नगर उज्जैन मध्य प्रदेश 456010	प्लॉट संख्या एस-17 का वह भाग, जो भूमि का हिस्सा है सर्वे संख्या 106/4, श्री जी परिसर, पनवासा वार्ड संख्या 40, उज्जैन तहसील एवं जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है. इसका क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- प्लॉट संख्या एस-18, पश्चिम-प्लॉट संख्या एस-16, उत्तर-अन्य की भूमि, दक्षिण- कॉलोनी की सड़क.	13.02.2026 रु. 12,66,274.11 (रु. बारह लाख छियासठ हज़ार दो सौ चौहत्तर और पैसे ग्यारह मात्र) दिनांक 09.02.2026 को **एनपीए दिनांक: 05.02.2026**
3.	**लैन: 601639211582081** **1. सुशील खत्री** **2. राजरानी खत्री** **पता:** 499 कृष्णा वाटिका छोटा बंगार्डा वीटीसी इंदौर पोस्ट ऑफिस बिजासन रोड इंदौर मध्य प्रदेश 452005	प्लॉट संख्या 78-ए, पालकी, तिरुपति नगर, ग्राम सिरपुर, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग का वह पूरा टुकड़ा. 78-ए पालकी, तिरुपति नगर, ग्राम सिरपुर, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश. संपत्ति का क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- प्लॉट संख्या 100, पश्चिम में- कॉलोनी रोड, उत्तर में- प्लॉट संख्या 79, दक्षिण में- उसी प्लॉट संख्या 78 का शेष भाग.	13.02.2026 रु. 40,46,498.46 (रु. चालीस लाख छियालीस हजार चार सौ अन्ठानवे और छियालीस पैसे मात्र) दिनांक 09.02.2026 **एनपीए दिनांक: 05.02.2026**
4.	**लैन: 604439511708074** **1. महेंद्र कुमार जावरिया** **2. सीमा जावरिया** **पता:** वार्ड संख्या 17, केशव कॉलोनी, मकान संख्या 516, अवंतीपुर, बरोदिया, शाजापुर 465116	वह संपूर्ण भूभाग, प्लॉट संख्या 58 स्थित ग्राम पंचायत, बरोदिया, जिला शाजापुर 1617 वर्ग फुट. संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- नितिन कुमार का घर, पश्चिम में- रामेश्वर पटेल का घर, उत्तर में- सड़क, दक्षिण में- धर्म सिंह की जमीन. क्षेत्रफल 1617 वर्ग फुट. शेष संपत्ति - लक्ष्मी नारायण का पूर्व-मकान और गली, पश्चिम-महेंद्र और सीमा का मकान, उत्तर- मार्ग, दक्षिण-राम सिंह की भूमि, क्षेत्रफल 3198 वर्ग फुट.	20.02.2026 रु. 53,68,630.72 (रु. तिरेपन लाख अड़सठ हजार छह सौ तीस और बहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 09.02.2026 **एनपीए दिनांक: 05.10.2025**

उधारकर्ताओं को मांग नोटिस का अनुपालन करने और उसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है और यहां ऊपर इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस सहित भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक शुल्क, लागत और व्यय. उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएचएफसी एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा सुरक्षित की गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति. ऐसी स्थिति में उधारकर्ता निर्धारित सीमा के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफल रहते हैं समय के साथ, एसएमएचएफसी सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा. बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है इसके तहत भुगतान प्राप्त करें. एसएमएचएफसी को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, एसएमएचएफसी को अलग कानूनी पहल करने का भी अधिकार है. यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो शेष बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही एसएमएचएफसी को. यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत एसएमएचएफसी के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है. सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है और आगे अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, जिसके तहत उधारकर्ता को निपटान या लेन-देन से रोका/प्रतिबंधित किया जाता है. किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करना एसएमएचएफसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना संपत्ति और उपरोक्त का अनुपालन न करना धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है उक्त अधिनियम के. डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें तो, कर सकते हैं. इसे सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करें.

स्थान- धार, उज्जैन, इन्दौर, शाजापुर, मध्यप्रदेश
दिनांक- 13.2.2026/20.2.2026

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

एक नजर में

श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति के शताब्दी सम्मान समारोह

भारतीय भाषाओं को आपस में जोड़ने का प्रयास हम सबको करना चाहिए

- साहित्यकार माधव कौशिक एवं सुषमा मुनीन्द्र शताब्दी सम्मान से अलंकृत

इंदौर. श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति के शताब्दी सम्मान समारोह के दूसरे दिन आज माधव कौशिक वरिष्ठ साहित्यकार चण्डीगढ़ एवं श्रीमती सुषमा मुनीन्द्र सतना को शताब्दी सम्मान 2025 से अलंकृत किया गया. ये सम्मान कार्यक्रम के अध्यक्ष नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सचिन चतुर्वेदी की अध्यक्षता एवं समिति के सभापति सत्यनारायण सत्तन तथा समिति के प्रधानमंत्री अरविन्द जवलेकर के हाथों प्रदान किया गया. इस अवसर पर डॉ. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि समिति ने सांस्कृतिक कल्प खड़ा किया है, समिति का यह कर्तव्य हो जाता है कि भाषा को विकृत करने की जो सोची-समझी चाल चली जा रही है, उसका सामना करें, भाषाओं की शुद्धता के साथ आदिवासी संस्कृति और भाषाओं को भी बचायें. इस सन्दर्भ में मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिये. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि 'वीणा' पत्रिका जो शताब्दी का स्पर्श करने जा रही है उसके माध्यम से भाषा के विगत इतिहास, वर्तमान स्थिति और भविष्य तीनों को समृद्ध करना चाहिये. भाषा को संजोए रखना भी 'वीणा' का कर्तव्य है. भाषा और संस्कृति आपस में जुड़े रहे, इसके लिए हम सभी को साहित्यिक संस्थाओं को मिलकर काम करना चाहिये.

रचनाधर्मिता को सम्मान दिया

अलंकृत हुए माधव कौशिक ने कहा कि मुझे अभी तक कई सम्मान मिलें, लेकिन आज समिति का सम्मान पाकर मैं अभिभूत हूँ, भावुक हो गया हूँ. ये सम्मान मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है. सुषमा मुनीन्द्र ने कहा कि समिति ने मेरी रचनाधर्मिता को सम्मान दिया. मैं सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ. आरंभ में डॉ. विनायक पाण्डेय ने स्वस्ति वाचन किया. समिति के प्रधानमंत्री अरविन्द जवलेकर ने समिति शताब्दी सम्मान समारोह के बारे में विस्तार से बताया. समिति के सभापति सत्यनारायण सत्तन ने अपने विचार व्यक्त किये. संचालन डॉ. अंतरा करवड़े ने किया. आभार प्रचार मंत्री हरेराम वाजपेयी ने माना. अतिथियों का स्वागत डॉ. मीनाक्षी स्वामी, डॉ. गोपालदत्त ओझा, उमेश पारेख, अरविन्द ओझा, राजेश शर्मा आदि ने किया.